

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ड्राफ्ट:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विदेशीय संघीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिकांश प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से लघुकालिक संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अर्हता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुषंग में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का अंशदान रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निम्नानु निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे नये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिष्ठित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1821	आर्य समाज इंजीनियरिंग कॉलेज, आगरा।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईटी/पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था कागज प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्णित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक भारतीय पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक भारतीय पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु ₹0-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक सत्र/सत्र के अंतर्गत किया जायेगा। उपरोक्त के अधीन विचार/संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर

H+

- राज्य द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनयुक्त प्रस्तावों को, और सम्बन्धित कार्यवाही किताब बना आरम्भ होना। और निर्णय समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीति का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो नीति की नवीकरण की जाय, होगी।
- ✓ संस्था को (उच्च) प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1986 एवं अधिनियम, संशोधनों को सम्बद्ध किया जाना/ विनियमनकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश किया जायेगा। शीर्ष के रिक्त स्थानों को शिक्षा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को समान-समय पर निर्णय शासनयुक्त के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता सुलभ बना करना होगा।
 - ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/विनियमन/संशोधन से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था प्लान प्रवेश, सत्रगत सत्र वसुधे मंत्र विधि/निधन/अभिनियम/शासनयुक्त/निर्देश एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, उच्च, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च एवं कानून एवं विधि, विनियम अधिनियम, विदेशों का पालन करने के लिए बना होगी।
 - ✓ किन्तु इन प्राथमिक प्रावधानों को संस्था यदि नोटीसवाई, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में संस्था शासनयुक्त संस्था का होगा और शिक्षा एवं नौकरी की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई तरह का पत्र किताब जाता है तथा दाखल वार के संबंध में न. न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतीति संबंधी आदेश निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतीति संबंधित संस्था को कलनी होगी।
 - ✓ किन्तु इन प्राथमिक प्रावधानों को संस्था अपने सभी संस्थाओं की अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचयनक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कागजातों का पत्र होने के पूर्व एम्प्लॉयमेंट से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा अपने प्रवेश की (कागजातों के माध्यम से संस्था संस्था सत्र पर शीर्ष प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ पत्र प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीकरण कागजात निर्णय का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्तर, साधन-सम्पदा, धनसहाय, प्राप्त किताबें जैसे कला, सूत्र, धनसहाय सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त शासनयुक्त करतब करने के साथ ही प्रवेश के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था का सुनिश्चित होने कि संस्था में प्रशासन/शासनयुक्त प्रावधानों को पालन करने हेतु निर्णय समिति के समस्त उपलब्ध मंत्रों एवं अधिनियम, सुनिश्चित, फनीकर, धनसहाय इत्यादि का यदि संस्था द्वारा कितनी तथा प्रावधानों के संस्था में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग कितनी बना कार्य के लिए कर थी है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संचाल किये जाने की अनुमति की जायेगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने काव्य शर्तों का अनुमोदन किये जाने की शक्ति में निर्णयानुसार अनुशासनयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(स) अरुण सिंह
सचिव

सूचक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-जालानाथ/निदेशक, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, आगरा।

(स) अरुण सिंह
सचिव

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काठमिड ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा करीब तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1671-ANAND COLLEGE OF PHARMACY, AGRA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षोंपे इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षोंपे फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षोंपे पाठ्यक्रमों (दो वर्षोंपे फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जोस निर्धारण समिति द्वारा पटि सत्र 2021-22 हेतु जोस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जोस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं पटि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टापर

किया जाता है तथा ट्रायर बाढ़ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगा।

- ✓ ठिकाना इन जार्मेंसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तख्तनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सी० प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का पट्टि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वर्गीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई० पी०सी०आई० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/09/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक ANAND COLLEGE OF PHARMACY, AGRA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

